



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51427

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6934/2026

बहादुर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 16 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार श्रीवास्तव, सरोज कुमार राम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार, भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.,
ज्ञान प्रकाश वर्मा

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

- कुछ तर्कों के पश्चात्, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को आगे न बढ़ाने के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
- की गई प्रार्थना अनुज्ञात की जाती है।
- रिट याचिका को आगे न बढ़ाने के कारण खारिज किया जाता है।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसी वाद-हेतुक पर नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

13 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।